




श्री फतेह सिंह

बनाम राज सरकार

किस्म मुकदमा 212 R.T.A.

मु0न0 22 सन 2017.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
18-7-18	<p>वकील प्रार्थी उपाखिला मिसल वास्ते क्वेस प्रान्च न. 2 हेतु दिनांक 30-7-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      सहायक कलक्टर, ब्यावर                 </p>	
30-7-18	<p>वकुला.ए.फरी.उप. पी.ओ.सा. केर प्रशा. कार्यों व्यस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 29-8-18 को पेश हों।</p>	
29-08-18	<p>वकील प्रार्थी एवं पेरकार सरकार मायब तहसीलदार ब्यावर उपाखिला। उमयफसान की अस्थाई निषेधाज्ञा पर क्वेस सुनी गई। वकील प्रार्थी के कषन कमेवेरा उनके प्रार्थना-पत्र डेनुयार डी रहे। पेरकार सरकार ने कषन किए कि वादग्रस्त भूमियों पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से वाद की मूल प्रकृति पर विपरीत प्रभाव रहेगा तथा संमतया अन्य पदोसी कारतकार भी बिना करण के पालंर रहेगे। ऐसी स्थिति में प्रान्च न. 2 कोई यदि जू किया जावे। क्वेस के परिप्रेष्य में पत्रावली का उपलोकन किया गया। वाद डेवलोपन मामला प्रार्थी गण के पत्र में बनना नही पाया जाता है तथा अपूरवीर सति का बिन्दु भी प्रार्थी के पत्र में बनना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अह प्रार्थना पत्र डी. आई. स्वीकार भोग्य नही होने से खारिज किया जाता है। शोरश खुले न्यायालय के सुनाया गया। मिसल कैसल सुमार डेकर नम्बर से कम हो।</p>	